न्यायालय विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम फर्रूखाबाद

उपस्थित - श्री बलजोर सिंह .....एच०जे०एस०

विशेष वाद सं० 05 /2009

राज्य

बनाम

मलखान पुत्र सुन्दर लाल आयु 46 वर्ष निवासी नगला चन्देला राजारामपुर मेई थाना नवावगंज जनपद फर्रूखाबाद ।

अ०सं०-450/2008
धारा- 135 B विद्युत अधिनियम
थाना - नवावगंज
जिला- फर्रूखाबाद ।

निर्णय

अभियुक्त मलखान का विशेष परीक्षण अ०सं०- 450/2008 धारा- 135 बी विद्युत अधिनियम थाना - नवावगंज जिला- फर्रूखाबाद में प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया ।

अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राम मोहन सक्सेना , अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड एवं उनकी टीम द्वारा दिनांक 04.09.08 को समय 11.50 बजे दिन अपने उच्चाधिकारियों उ०प्र० शासन एवं अध्यक्ष पावर कारपोरेशन के निर्देशानुसार विद्युत चोरी रोका अभियान के तहत अपने हमराही कर्मचारीगण के साथ चेकिगं में मसरूफ थे । उन्होने चेकिगं के दौरान पाया कि अभियुक्त एल०टी० लाइन में कटिया डालकर अपनी आटा चक्की स्थित नगला चन्देला राजारामपुर मेई थाना नवावगंज जनपद फर्रूखाबाद चलाते हुए विद्युत चोरी करते हुए पाया गया ।

वादी मुकदमा की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना नवावगंज में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मु०अ०सं० 450/08 पर अन्तर्गत धारा 135 बी विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया । जिसका खुलासा रोजनामचा आम में किया गया । कार्बन प्रति जी०डी० पत्रावली पर का०सं० 7 ए के रूप में उपलब्ध है।

मामले की विवेचना की गयी । विवेचक ने गवाहान के बयान लिए गए तथा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त प्रथक रूप से आरोप पत्र प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त का विचारण किया गया ।

अभियुक्त न्यायालय की प्रक्रिया पर उपस्थित आया और उसने अपनी जमानत करायी ।

आरोप

अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 27.01.11 को धारा 135 बी विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया गया । जिससे अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की ।

अभियोजन साक्ष्य

अभियोजन की ओर से पी० डब्लू० 1 राम मोहन सक्सेना, रिटा० अवर अभियन्ता एवं पी० डब्लू० 2 का० धर्म सिंह को परीक्षित कराया गया है इसके अलाबा अन्य कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है।

बयान धारा 313 दं०प्र०सं०

अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० लिखा गया जिसमें अभियुक्त ने घटना को गलत बताया तथा गवाह द्वारा गलत बयान दिया जाना कहा है तथा अतिरिक्त कथन के माध्यम से यह कहा है कि वह निर्दोष है उस पर झूंठा मुकदमा किया है ।

प्रति रक्षा साक्ष्य

पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी अभियुक्त की ओर से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य नहीं दी गयी ।

मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि वादी मुकदमा राम मोहन सक्सेना , अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड एवं उनकी टीम द्वारा दिनांक 04.09.08 को समय 11.50 बजे दिन अपने उच्चाधिकारियों उ०प्र० शासन एवं अध्यक्ष पावर कारपोरेशन के निर्देशानुसार विद्युत चोरी रोका अभियान के तहत अपने हमराही कर्मचारीगण के साथ चेकिगं में मसरूफ थे । उन्होने चेकिगं के दौरान पाया कि अभियुक्त एल०टी० लाइन में कटिया डालकर अपनी आटा चक्की स्थित नगला चन्देला राजारामपुर मेई थाना नवावगंज जनपद फर्रूखाबाद चलाते हुए विद्युत चोरी करते हुए पाया गया । जिसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी । जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र का०सं० 3ए प्रेषित किया गया । जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित कर विचारण किया गया । इस प्रकार अभियुक्त पर यह आरोप है कि अवैध रूप से एल०टी० लाइन पर कटिया डाल कर विद्युत चोरी की गयी और आटा चक्की चलाते हुए पाया गया । जिसके सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से पी० डब्लू० 1 राम मोहन सक्सेना अवर अभियन्ता वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि -

" दिनांक 4.09.08 को मैं अवर अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड फतेहगढ़ में तैनात था एवं अनिल दीक्षित सुपरवाइजर,मै० मिग्रा कांष्ट्रेक्शन फर्रूखाबाद व चेकिगं टीम केसाथ कटिया विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत छापा मारा तो मलखान सिंह पुत्र सुन्दर लाल निवासी नगला चन्देला थाना नवावगंज जनपद फर्रूखाबाद को 100 के०वी०ए० ट्रान्सफार्मर से डायरेक्ट कटिया डालकर अवैध रूप

से विद्युत चोरी करते हुए चक्की चलाते हुए पाया । यह मीटर से बाईपास करके विद्युत की चोरी कर रहे थे । मौके से हिसाब की कापी 10 मी० काली केविल तीन कोर कब्जे में ली गयी और सील मोहर कीगयी । इनके ऊपर 36750/- रू० बकाया था । पत्रावली पर मौजूद का०सं० 5ए देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो मैने दिनांक 4.10.08 को अपने हस्ताक्षर बनाए और स्वंय लिख कर थाने पर दी थी । इसकी मैं पुष्टि करता हूँ । इस पर प्रदर्श क-1 डाला गया । घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था । एवं मेरी निशान देही पर नक्शा नजरी तैयार किया था । न्यायालय में प्रस्तुत केबिल व कापी को देख कर गवाह ने कहा कि यह वही केविल व कापी है जो उसने मौके पर पकड़ी थी इस पर बस्तु प्रदर्श -1 व 2 डाला गया । इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी उपरोक्त साक्ष्य में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शक-1 एवं चेकिगं रिपोर्ट प्रदर्श क-2 को साबित किया है लेकिन इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह बयान दिया है कि " मलिखान सिंह का दरवाजा कहाँ पर खुलता है नहीं मालूम ..... चक्की मकान के पास ही लगी है.....चक्की से मकान किस दिशा में है ध्यान नहीं ।" इस प्रकार वादी मुकदमा के उपरोक्त बयान से घटना स्थल सिद्ध नहीं है। इसके अलावा इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी बयान दिया है कि " केविल प्राईवेट लाइन मैन और सुपरवाइजर ने उतारी थी उसका नाम नहीं मालूम ।" इस प्रकार इस साक्षी के उपरोक्त बयान से घटना घटित होना भी संदिग्ध हो जाता है क्यों कि इस साक्षी को अपने अधीनस्थ सहकर्मी जो घटना स्थल पर इसके साथ होना बताया गया है उसका नाम भी इस साक्षी को नहीं मालूम है।

इस साक्षी के उपरोक्त बयान की संपुष्टि हेतु अभियोजन की ओर से अन्य कोई तथ्य का साक्षी पेश नहीं किया गया है । इस प्रकार उपरोक्त साक्षी की पुष्टि रहित साक्ष्य एवं उपरोक्त विरोधाभाषों के आधार पर अभियोजन कथानक साबित नहीं माना जा सकता। और न ही माल मुकदमाती न्यायालय में पेश कर इस साक्षी से साबित कराया गया है।

इसके अलावा अभियोजन की ओर से एक अन्य अभियोजन साक्षी पी० डब्लू० 2 का० 298 धर्म सिंह ने साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 4.10.08 को मैं बतौर सी०सी० थाना नवावगंज में तैनात था । इ सदिन मैने राम मोहन सक्सेना अवर अभियन्ता विद्युत द्वारा दाखिल हिन्दी वादी तहरीर के आधार पर एक ही फर्द में मुकदमा अ०सं० 450 लगायत 452 /2008 खिलाफ मलखान सिंह आदि धारा 135(2) विद्युत अधि० थाना नवावगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था इसका खुलासा रपट सं० 50 समय 19.10 बजे में कार्बन लगाकर जी०डी० में किया था । उक्त कार्बन जी०डी० की मूल जी०डी० समय सीमा व्यतीत होने के कारण विनष्ट की जा चुकी है। विनिष्ठीकरण की रिपोर्ट मैं पुलिस कार्यालय फतेहगढ़ सेसाथ लेकर आया हूँ । जो पत्रावली में का०सं० 31ए है । पत्रावली पर का०सं० 9ए मूल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट है तथा 6ए कार्बन प्रति जी०डी० है दोनों प्रपत्रों को देख कर साक्षी ने कहा कि यह दोनों प्रपत्र मैनेअपने लेख व प्रदर्श क-2 व प्रदर्श क-3 डाला गया ।" इस प्रकार इस साक्षी ने मामले में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं कायमी मुकदमा की

जी०डी० के लेख व निष्पादन को साबित किया है। इस साक्षी की साक्ष्य औपचारिक है जो पी० डब्लू० 1 राम मोहन सक्सेना वादी मुकदमा की साक्ष्य को कोई बल प्रदान नहीं करती है।

इसके इस मामले में दो विवेचक रहे हैं उनमें से किसी भी विवेचक को भी परीक्षित नहीं कराया गया है विवेचकों के द्वारा तैयार किए गए प्रपत्रों नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र को पी०डब्लू० 2 का०धर्म सिंह से औपचारिक रूप से साबित कराया गया है जिसके कारण अभियुक्त पक्ष को उक्त अभिलेखों एवं विवेचना की कार्यवाही के बाबत जिरह का मौका प्राप्त नहीं हो सका है।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को युक्ति युक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है और अभियोजन की ओर से उपलब्ध करायी गयी साक्ष्य से संदेह का लाभ प्रदान करते हुए आरोपित आरोप से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त मलखान सिंह को मु०अ०सं० 450/08 विशेष वाद सं० 05/09 अन्तर्गत धारा 135 बी विद्युत अधिनियम थाना नवावगंज जनपद फर्रूखाबाद के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है उसके जमानत नामें एवं व्यक्तिगत बन्ध पत्र निरस्त किए जाते हैं एवं जमानतदारों को दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए दं०प्र०सं० के अनुपालन में दस -दस हजार रूपए की दो जमानत एवं समान धनराशि का बन्ध पत्र दाखिल किया जाए।

माल मुकदमाती बाद बीतने मियाद अपील नियमानुसार निरस्तारित हो।

अभिलेख दाखिल दफतर हो ।

(बलजोर सिंह)
विशेष न्यायाधीश आवश्यक बस्तु अधिनियम /
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ,
फर्रूखाबाद ।

दिनांक 18.12.2018

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बलजोर सिंह)
विशेष न्यायाधीश आवश्यक बस्तु अधिनियम /
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
फर्रूखाबाद ।

दिनांक 18.12.2018